



सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-31/2023

दिनांक- 25 जनवरी- 2023

प्रेस विज्ञप्ति

थाना-मेंहनाजपुर

आवास आवंटन के लिए हुयी बैठक में गोली मारकर हुयी हत्या की घटना में 02 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी राइफल .315 बोर बरामद

पूर्व की घटना:-

दिनांक 24.01.2023 को वादी प्रेम कुमार सिंह पुत्र अमरनाथ सिंह निवासी जामुडीह भवरपुर थाना तरवां द्वारा तहरीर दिया गया कि ग्राम पंचायत सचिव प्रदीप कुमार द्वारा ग्राम पंचायत दक्षिण का पूरा थाना मेंहनाजपुर में पंचायत भवन में आवास आवंटन को लेकर एक खुली बैठक रखी गई थी। बैठक में गांव के कई लोग मौजूद थे विपक्षी शिव शंकर सिंह उर्फ (पूर्व प्रधान) निवासी मेंहनाजपुर, जितेंद्र यादव, बब्बू सिंह, सोनू सिंह इत्यादि द्वारा अपात्र को आवास आवंटन कराने के लिए दबाव बनाया गया। जिसका विरोध प्रदीप सिंह उर्फ भीम और हिमांशु सिंह इत्यादि द्वारा किये जाने पर विपक्षी शिवशंकर सिंह इत्यादि द्वारा एक राय होकर जान से मारने की नियत से हिमांशु सिंह को गोली मार दी गई तथा प्रदीप सिंह, सवेन्दू सिंह उर्फ मुन्ना को जांघ में गोली लग गई जिससे वह घायल हो गये।

उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना मेंहनाजपुर पर मुं.अ.सं. 15/23 धारा 34/302/307/427/506 भादवि व 7 दंड विधि संसोधन अधिनियम 2013 बनाम शिवशंकर सिंह उर्फ घूरे (पूर्व प्रधान), जितेंद्र यादव, बब्बू सिंह उर्फ विजय सिंह, सोनू सिंह के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित की गई।

जिसमें आज दिनांक- 25.01.2023 को समय सुबह 07.26 बजे मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त जितेन्द्र यादव पुत्र स्व0 सरजू यादव निवासी औड़ीहार थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से घटना प्रयुक्त आलाकतल 01 लाइसेंसी डीबीबीएल .12 बोर, 01 जिन्दा कारतूस .12 बोर, 01 देशी तमंचा, 01 खोखा व 03 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण-

जिसके क्रम में आज दिनांक- 25.01.2023 को थाना प्रभारी मेंहनाजपुर मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त सम्बन्धित **अभियुक्त 1.** शिवशंकर सिंह उर्फ घूरे पुत्र स्व0 श्रीनाथ सिंह निवासी ग्राम मेहनाजपुर थाना मेहनाजपुर आजमगढ़ 2. बब्बू सिंह उर्फ विजय सिंह पुत्र रामगरीब सिंह निवासी सिधौना थाना मेंहनाजपुर आजमगढ़ को शहर आजमगढ़ के थाना सिधारी क्षेत्र के शारदा चौराहे के पास से समय 12.30 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त बब्बू सिंह के निशान देही पर घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी रायफल .315 बोर को उसके घर के पिछे झाड़ी से बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु.अ.सं. 15/23 धारा 34/302/307/427/506 भादवि व 7 दंड विधि संसोधन अधिनियम 2013 थाना मेंहनाजपुर, आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- शिवशंकर सिंह उर्फ घूरे पुत्र स्व0 श्रीनाथ सिंह निवासी ग्राम मेहनाजपुर थाना मेहनाजपुर आजमगढ़

2- बब्बू सिंह उर्फ विजय सिंह पुत्र रामगरीब सिंह निवासी सिधौना थाना मेहनाजपुर आजमगढ़

बरामदगी-

1- घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी 01 राइफल बरामद।

आपराधिक इतिहास- (शिव शंकर सिंह उपरोक्त)

1. 172/84 302,307,120B IPC चन्दवक

2. 101/90 307 IPC जलालपुर

3. 264/77 147,352,504,506 IPC सैदपुर
4. 135/88 147,352,504,506 IPC सैदपुर
5. 161/89 30 A. ACT सैदपुर
6. 102/90 27 A. ACT जलालपुर
7. 43/90 302,201 IPC मेहनाजपुर
8. 7/91 452,342,323,506 IPC मेहनाजपुर
9. 11/91 3/4 गुण्डा अधि० मेहनाजपुर
10. 9A/91 147,323,506 IPC मेहनाजपुर
11. 44/89 NCR 323,504 IPC मेहनाजपुर
12. 69/90 NCR 323,504 IPC मेहनाजपुर
13. 68/91 323,504,506 IPC मेहनाजपुर
14. 52/95 3(1) गुण्डा अधि० मेहनाजपुर
15. 111/95 30 A. ACT मेहनाजपुर
16. 241/03 3/4 गुण्डा अधि० मेहनाजपुर
17. 29/04 323,504,506,342 IPC मेहनाजपुर
18. 102/07 110G IPC मेहनाजपुर
19. 4/07 NCR 323,504,506 IPC मेहनाजपुर
20. 574/07 3/4 उ०प्र० गुण्डा नि० अधि० मेहनाजपुर
21. 62/07 NCR 323,504,506 IPC मेहनाजपुर
22. 105/08 NCR 504,506,427 IPC मेहनाजपुर
23. 658/08 3/4 उ०प्र० गुण्डा अधि० मेहनाजपुर
24. 31/09 NCR 323,504,506 IPC मेहनाजपुर
25. 259/09 3/4 उ०प्र० गुण्डा अधि० मेहनाजपुर
26. 189/09 110G IPC मेहनाजपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- थानाध्यक्ष सुनील कुमार दूबे थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़
02. निरीक्षक अपराध सूर्यवंश यादव थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़
03. उ०नि० रमेश सिंह थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़
04. का० विकास पाण्डेय थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़
05. का० अनीसुद्दीन थाना मेंहनाजपुर आजमगढ़
- 06 का० अजय यादव थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़
07. का० अंकित वर्मा थाना मेंहनाजपुर आजमगढ़
08. का० नीरज यादव थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़
- 09 का० सोनू कुमार थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़

थाना अतरौलिया

दुकान से चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण- दिनांक 24.01.23 को वादी अफजल अहमद पुत्र रियाज अहमद निवासी भोराजपुर कला थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त अमित कुमार सिंह पुत्र राकेश सिंह निवासी रामजानकी नगर असरफ पुर किछौछा थाना बसखारी जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा वादी के अण्डे की दुकान से एक अदद लकड़ी की

पेटी जिसमें नगद रुपया 1600/- था लेकर भाग रहा था तभी वादी व मौके पर उपस्थित आस पास के लोगों द्वारा चोरी किये गये पैसे के साथ अभियुक्त को पकड़ लिया गया। अभियुक्त को वादी व वादी के साथियों के द्वारा थाने पर लाया गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 17/23 धारा 380/411 भादवि बनाम अमित कुमार सिंह पुत्र राकेश सिंह निवासी रामजानकी नगर असरफ पुर किछौछा थाना बसखारी जनपद अम्बेडकर नगर पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:- दिनांक 24.01.23 को मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त अमित कुमार सिंह पुत्र राकेश सिंह निवासी रामजानकी नगर असरफ पुर किछौछा थाना बसखारी जनपद अम्बेडकर नगर को थाना स्थानीय से समय करीब 21.15 बजे हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 17/23 धारा 380/411 IPC थाना अतरौलिया आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

अमित कुमार सिंह पुत्र राकेश सिंह निवासी रामजानकी नगर असरफ पर थाना बसखारी जनपद अम्बेडकर नगर

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 109/18 धारा 323/504/506 IPC थाना बसखारी जनपद अम्बेडकरनगर।

2. मु0अ0सं0 220/19 धारा 323/504/506 IPC थाना बसखारी जनपद अम्बेडकरनगर।

बरामदगी -

1600/- रुपया नकद।

थाना- महाराजगंज

मारपीट कर गंभीर चोट पहुँचाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

1.पूर्व की घटना- दिनांक 24.01.2023 को वादी कमलेश पुत्र राजमन निषाद निवासी महाजी देवारा जदीद जमुनिहवा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त अजय निषाद पुत्र बदरी निषाद निवासी महाजी देवारा जदीद जमुनिहवा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी की मां रमावती देवी को पुरानी रंजिश को लेकर लाठी डंडे से घर में घुसकर मार-पीटा गया, जिससे सिर में गंभीर चोट आने की वजह से वादी की मां मौके पर बेहोश हो गयी। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 28/23 धारा 323,308,452,504,506 IPC थाना महाराजगंज आजमगढ़ बनाम अजय निषाद पुत्र बदरी निषाद निवासी महाजी देवारा जदीद जमुनिहवा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया।

2.गिरफ्तारी की विवरण- आज दिनांक 25.01.2023 को उ0नि0 अमरनाथ यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त अजय पुत्र बदरी निषाद निवासी महाजी देवारा जदीद थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ को सहदेवगंज बाजार से समय करीब 10.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 28/23 धारा 323,308,452,504,506 IPC थाना महाराजगंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त -

1-अजय निषाद पुत्र बदरी निषाद निवासी महाजी देवारा जदीद जमुनिहवा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 अमरनाथ यादव मय हमराह थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- फूलपुर

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक गिरफ्तार

दिनांक- 25.1.2023 को उ0नि0 हीरेन्द्र प्रताप सिंह थाना कोतवाली फूलपुर मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त अंकित प्रताप सिंह पुत्र स्व0 विजय प्रताप सिंह निवासी- सदर बाजार थाना- सदर बाजार जिला रामपुर तथा उम्र करीब 38 वर्ष के पास से 01 अदद देशी तमन्चा 315 बोर मय 02अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ ग्राम बिलारमऊ कटारमऊ के पास से समय 09.40 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 35/23 धारा 3/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 35/23 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना फूलपुर, आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 35/23 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना फूलपुर
2. मु0अ0सं0 521/22 धारा यूपी गैगैस्टर एक्ट थाना गाजीपुर जनपद लखनऊ
3. मु0अ0सं0 172/2017 धारा 147/148/307/323/336/427/452/504/506 भादवि थाना गाजीपुर लखनऊ

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- अंकित प्रताप सिंह पुत्र स्व0 विजय प्रताप सिंह निवासी- सदर बाजार थाना- सदर बाजार जिला रामपुर तथा उम्र करीब 38 वर्ष बरामदगी-

1. 01 अदद देशी तमन्चा 315 बोर मय 02अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 हीरेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह थाना फूलपुर, आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति

13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जनपद के समस्त पुलिस कार्यालय, पुलिस लाईन्स व समस्त थानों/चौकियों पर निर्वाचन में अपने मताधिकार के प्रयोग की दिलायी गयी शपथ

आज दिनांक- 25 जनवरी 2023 को समय 13.00 बजे 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा पुलिस कार्यालय आजमगढ़ में नियुक्त समस्त अधिकारी/कर्मचारी गणों को शपथ दिलायी गयी। इसी प्रकार जनपद के पुलिस लाईन्स, समस्त थानों/चौकियों/कार्यालयों में नियुक्त कर्मियों को संबंधित प्रभारी द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर शपथ दिलाई गयी।

दिलायी गयी शपथ

“हम भारत के नागरिक, लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए, निर्भीक होकर, धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।”

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- तरवां

➡ दिनांक- 07.07.2011 को वादी कांता चौहान पुत्र स्व0 मोतीलाल निवासी कुन्जी थाना जहानागंज, आजमगढ़ ने थाना तरवां पर शिकायत किया कि विपक्षी 1. सोनू चौहान पुत्र श्याम नरायण निवासी पुरूषोत्तमपुर (पर्वतपुर) थाना तरवां, आजमगढ़, 2. श्याम

नारायण पुत्र स्व0 झिगई, 3. गिरजा देवी पत्नी श्यामनारायण द्वारा वादी की पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया तथा खाने में जहर दिया गया, जिससे वादी की पुत्री इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी।

➡ जिसके सम्बन्ध में नामजद तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना तरवां पर मु0अ0सं0- 314 सन् 2011 अंतर्गत धारा 498ए, 304बी, भादवि व 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया था।

➡ जिसके क्रम में आज दिनांक- 25.01.2023 को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0- 04, आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 1. अभियुक्त सोनू चौहान को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 11 वर्ष के कारावास एवं 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त श्याम नारायण व अभियुक्त गिरजा देवी को दोषमुक्त किया गया है।

थाना-देवगांव

आज दिनांक- 25.01.2023 को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0- 01 आजमगढ़ द्वारा थाना देवगांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 153/2012 धारा 304,308,326 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त भिखारी चौहान पुत्र रामलखन चौहान निवासी नन्दापुर, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 03 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है।

थाना-रौनापार

आज दिनांक- 25.01.2023 को अपर सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ द्वारा थाना रौनापार पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 511/2008 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त भिखारी चौहान पुत्र रामलखन चौहान निवासी नन्दापुर, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 500 रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रेस नोट

गिरफ्तारी 18 वारंटी अभियुक्त थाना फूलपुर आजमगढ़

आज दिनांक 25.1.2023 को पाँच टीमे गठित कर प्रभारी निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह मय हमराह द्वारा 18 वारण्टीयो 1.सोमरू उर्फ राजमन पुत्र स्व0 पारस निवासी कनेरी थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 46 वर्ष सम्बन्धित न्या0 जे0एम0 कोर्ट न0 2.दीपक शर्मा पुत्र झिनकू उम्र 29 वर्ष निवासी कनेरी थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ सम्बन्धित न्या0 उपरोक्त 3.इसरावती पत्नी वंशराज राम उम्र 51 वर्ष 4.बबलू राम पुत्र वशंराज उम्र 27 वर्ष 5.अरुण पाल पुत्र रामआसरे पाल उम्र करीब 32 वर्ष 6.निरुपमा पुत्री रामआसरे पाल उम्र करीब 21 वर्ष निवासी गण ग्राम हथनौरा कला थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ 7.मुन्ना केवट पुत्र वारी केवट ग्राम जगदीशपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 29 वर्ष 8.सहवाज पुत्र लडडन उर्फ बबरे आलम उम्र 35 वर्ष निवासी कस्बा फूलपुर थाना फूलपुर आजमगढ़ व 9.प्रदीप चौरसिया पुत्र राम सनेही उर्म करीब 29 वर्ष ग्राम जदगीशपुर थाना फूलपुर आजमगढ़ 10.निर्मला देवी पत्नी राममूरत ग्राम आधीपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ 11.फूलमती पत्नी रामाश्राय राम ग्राम गण्डी थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ 12.निरजंन पुत्र संतलाल उम्र 45 वर्ष निवसी कटार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ सम्बन्धित न्या0 जेएमसीएन 14 आजमगढ़ ता0पेशी 31/1/23 ,13.सुरेन्द्र पुत्र मीजू उम्र 50 वर्ष 14.योगेन्द्र पुत्र मीजू उम्र 40 वर्ष निवासीगण भदसार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ सम्बन्धित न्या0 एस सी जे आजमगढ़ ता0पेशी 25.01.23 15.दशरथ प्रजापति पुत्र लालचन्द प्रजापति उम्र 35 वर्ष निवासी रसूलाबाद थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ 16. बजरंग सिंह पुत्र संकठा सिंह उम्र 45 वर्ष निवसी रीवा

सुल्तानपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ 17. इम्तियाज पुत्र स्व0 मुजर उम्र करीब 45 वर्ष ,18. इस्तेयाक पुत्र इमरान उम्र करीब 48 वर्ष साकिनान ग्राम मुडियार थाना फूलपुर जनपद -आजमगढ़ को घरों पर दबिश देकर व नाम पता तस्दीक होने पर गिरफ्तारी का कारण बताते हुये परिजनो के समक्ष गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्तगण के परिजनो को मौके पर दिया गया । गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय आजमगढ़ रवाना किया गया।

सम्बन्धित मुकदमा –

- 1.सोमरू उर्फ राजमन पुत्र स्व0 पारस निवासी कनेरी थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ मु0नं0 268/22
- 2.दीपक शर्मा पुत्र झिनकू निवासी कनेरी थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ मु0नं0 268/22
- 3.इसरावती पत्नी वंशराज राम ग्राम हथनौरा कला थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ मु0नं0 268/22
- 4.बबलू राम पुत्र वंशराज ग्राम हथनौरा कला थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ मु0नं0 268/22
- 5.अरुण पाल पुत्र रामआसरे पाल ग्राम हथनौरा कला थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ मु0नं0 268/22
- 6.निरुपमा पुत्री रामआसरे पाल निवासी ग्राम हथनौरा कला थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ मु0नं0 268/22
- 7.मुन्ना केवट पुत्र वारी केवट ग्राम जगदीशपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ मु0नं0 268/22
- 8.सहवाज पुत्र लड्डन उर्फ बबरे आलम निवासी कस्बा फूलपुर थाना फूलपुर आजमगढ़ मु0नं0 268/22
- 9.प्रदीप चौरसिया पुत्र राम सनेही ग्राम जदगीशपुर थाना फूलपुर आजगढ़ मु0नं0 268/22
- 10.निर्मला देवी पत्नी राममूरत ग्राम आधीपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ मु0नं0 2363/16
- 11.फूलमती पत्नी रामाश्राय राम ग्राम गण्डी थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ मु0नं0 268/22
- 12.निरजंन पुत्र संतलाल निवसी कटार थाना फूलपुर जनपद मु0नं0 5969/22
- 13.सुरेन्द्र पुत्र मीजू सा0 भदसार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ मु0नं0 1774/22
- 14.योगेन्द्र पुत्र मीजू सा0 भदसार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ मु0नं0 1774/22
- 15.दशरथ प्रजापति पुत्र लालचन्द प्रजापति निवासी रसूलाबाद थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ मु0नं0 250/22
16. बजरंग सिंह पुत्र संकठा सिंह निवसी रीवा सुल्तानपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ धारा 107/116 सी0
17. इम्तियाज पुत्र स्व0 मुजर निवासी मुडियार थाना फूलपुर जनपद -आजमगढ़ मु0नं0 2988/22
18. इस्तेयाक पुत्र इमरान सा0 ग्राम मुडियार थाना फूलपुर जनपद -आजमगढ़ मु0नं0 2988/22

गिरफ्तार अभियुक्त -

- 1.सोमरू उर्फ राजमन पुत्र स्व0 पारस निवासी कनेरी थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 46 वर्ष
- 2.दीपक शर्मा पुत्र झिनकू उम्र 29 वर्ष निवासी कनेरी थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
- 3.इसरावती पत्नी वंशराज राम उम्र 51 वर्ष ग्राम हथनौरा कला थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
- 4.बबलू राम पुत्र वंशराज उम्र 27 वर्ष ग्राम हथनौरा कला थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
- 5.अरुण पाल पुत्र रामआसरे पाल उम्र करीब 32 वर्ष ग्राम हथनौरा कला थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
- 6.निरुपमा पुत्री रामआसरे पाल उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम हथनौरा कला थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
- 7.मुन्ना केवट पुत्र वारी केवट ग्राम जगदीशपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 29 वर्ष
- 8.सहवाज पुत्र लड्डन उर्फ बबरे आलम उम्र 35 वर्ष निवासी कस्बा फूलपुर थाना फूलपुर आजमगढ़
- 9.प्रदीप चौरसिया पुत्र राम सनेही उम्र करीब 29 वर्ष ग्राम जदगीशपुर थाना फूलपुर आजगढ़
- 10.निर्मला देवी पत्नी राममूरत ग्राम आधीपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
- 11.फूलमती पत्नी रामाश्राय राम ग्राम गण्डी थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
- 12.निरजंन पुत्र संतलाल उम्र 45 वर्ष निवसी कटार थाना फूलपुर जनपद
- 13.सुरेन्द्र पुत्र मीजू उम्र 50 वर्ष सा0 भदसार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

14. योगेन्द्र पुत्र मीजू उम्र 40 वर्ष सा0 भदसार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
15. दशरथ प्रजापति पुत्र लालचन्द प्रजापति उम्र 35 वर्ष निवासी रसूलाबाद थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
16. बजरंग सिंह पुत्र संकठा सिंह उम्र 45 वर्ष निवासी रीवा सुल्तानपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
17. इम्तियाज पुत्र स्व0 मुजर उम्र करीब 45 वर्ष निवासी मुडियार थाना फूलपुर जनपद -आजमगढ़
18. इस्तेयाक पुत्र इमरान उम्र करीब 48 वर्ष सा0 ग्राम मुडियार थाना फूलपुर जनपद -आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्री अनिल कुमार सिंह
2. उ0नि0 महबूब अली
3. उ0नि0 अशोक कुमार मौर्या
4. उ0नि0 विपिन कुमार सिंह
5. उ0नि0 माखन सिंह
6. उ0नि0 जयप्रकाश पाण्डेय
7. हे0का0 कमलेश मिश्रा
8. हे0का0 सूर्य प्रताप सिंह
9. का0 राजेश यादव
10. का0 धर्मेश वर्मा
11. का0 विनोद यादव
12. का0 अरविन्द तिवारी
13. का0 इरफान अहमद
14. का0 शिवराम सरोज
15. का0 शिवम वर्मा
16. म0का0 निधी गुप्ता
17. म0का0 संजू सरोज
18. म0का0 प्रीती तिवारी